

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती हैं।

| क्र. स. | नाम कार्मिक श्री/श्रीमती | पदस्थापन स्थान (राउमावि) | मृत्यु प्रमाण-पत्र क्रमांक | जन्म तिथि | निधन दिनांक | सेवा समाप्ति दिनांक |
|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | लादूराम चौधरी | झीतडा, रोहट, पाली | 08118006000022400029/19 | 06.05.67 | 11.11.19 | 11.11.19 |
| 2 | देव सिंह मईड़ा | सुरपुर, बांसवाडा | 08128001000000100472/19 | 04.02.75 | 23.11.19 | 23.11.19 |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित उक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक—

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(हिमांशु गुप्ता)


आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा.वि./सेवासमाप्ति/2019/22 दिनांक:- 14/01/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
- 2 उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.....
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 5 संबंधित प्रधानाचार्य
- 6 संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्रीव्याख्याता राजनीति विज्ञान।
- 7 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त श्री लादूराम चौधरी के डीपीसी वर्ष 2016-17 में पदोन्नत कार्मिक (वरि. क्रमांक 2726/01 वरि. अवधि 2008-09) व कार्मिक श्री देव सिंह मईड़ा के डीपीसी वर्ष 2016-17 में पदोन्नत कार्मिक (वरि. क्रमांक 3607 वरि. अवधि 2008-09) की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)